दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, गुरुवार 23 सितंबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 354

महत्वपूर्ण एवं खास

हीरों की नीलामी में मजदूर बना लखपति

पन्ना (आरएनएस)। मध्यप्रदेश के पन्ना जिले में उथली खदानों से मिली हीरों की नीलामी में एक मजदूर लखपति बन गया। उथली खदानों से एक मजदूर को विगत दिनों खुदायी में मिली हीरा की खुली नीलामी की गई। इस नीलामी में एक मजदूर को मिला 8 22 कैरेट वजन का हीरा 37 लाख 7 हजार रुपये में बिका है। हीरा अधिकारी रवि पटेल ने बताया कि नवीन कलेक्ट्रेट में सुरक्षा व्यवस्था के बीच कल हुई हीरों की नीलामी में उज्जवल, मटमैले व औद्योगिक किस्म के 206.68 कैरेट के 155 नग हीरे रखा गया है। नीलामी के पहले ही दिन 61 नग हीरे वजन 83.63 कैरेट 1 करोड़ 27 लाख 71 हजार रुपए में बिके हैं। इसमें 8.22 कैरेट वजन वाला उज्जवल किस्म का हीरा भी शामिल है। उन्होंने बताया कि पन्ना में चल रही हीरों की नीलामी में स्थानीय हीरा व्यापारियों के साथ-साथ अन्य दूसरे प्रांतों के हीरा व्यापारी भी भाग ले रहे हैं। हीरा पारखी अनुपम सिंह ने बताया कि इस नीलामी में 14.09 कैरेट वजन का कीमती हीरा भी रखा गया है, जो जेम चालिटी (उज्जवल किस्म) का है। नीलामी में रखे गए हीरों में यह सबसे बड़ा है। यह हीरा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हीरो की नीलामी में सबसे छोटा हीरा 0.16 सेंट का 2 हजार रुपये में नीलाम हुआ।

स्वर्ण मंदिर के सेवादार की आटा गूंथने वाली मशीन से हुई मौत

चंडीगढ़ (आरएनएस)। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में सामुदायिक रसोई में आटा गूंथने वाली मशीन से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) के एक सेवादार की मौत हो गई। एसजीपीसी के एक पदाधिकारी ने बताया कि घटना उस समय हुई जब भाई बलराज सिंह सामुदायिक रसोई में काम कर रहे थे और तभी उनका हाथ मशीन में फंस गया और वह मशीन में खिंचे चले गए जिससे उनकी मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि सेवादार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। कुछ घंटों के लिए लंगर सेवा प्रभावित रही। एसजीपीसी की अध्यक्ष बीबी जागीर कौर ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा, '' भाई बलराज सिंह की दुखद मौत एसजीपीसी परिवार के लिए एक बड़ा झटका है।

नौकरी के अंतिम पड़ाव पर नहीं बदल सकते सरकारी कर्मचारी जन्मतिथि : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी कर्मचारी द्वारा जन्मतिथि में बदलाव की मांग करने वाली याचिका को अधिकार का मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस तरह के अनुरोध को किसी के करियर के अंतिम छोर पर भी अनुमति नहीं दी जा सकती है। न्यायमूर्ति एम आर शाह और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने एक कर्मचारी की जन्मतिथि में बदलाव के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी। अपने फैसले में अदालत ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों की उम्र का निर्धारण कर्नाटक राज्य सेवक (आयु का निर्धारण) अधिनियम, 1974 द्वारा शासित होता है। इसके मुताबिक, नौकरी शुरू करने के शुरुआती तीन साल के भीतर ही जन्म तिथि में परिवर्तन के लिए आवेदन दिया जा सकता है। या फिर अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर ऐसा किया जा सकता है।

अमेरिका की यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी

नई दिल्ली (आरएनएस)। अमेरिका के लिए रवाना हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉन-स्टॉप फ्लाइट पाकिस्तान के वायुक्षेत्र से होकर गुजरेगी। पीएम मोदी तीन दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना हुए हैं। यहां वह संयुक्त राष्ट्र महासभा, क्वाड सम्मेलन में शामिल होंगे और राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एनएसए अजित डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और सरकार के उच्च पदस्थ अधिकारियों सहित एक टॉप डेलीगेशन भी गया है। माना जा रहा है कि अफगानिस्तान से बचने के लिए पीएम मोदी के विमान को पाकिस्तान से ले जाया गया है।

अदालत के निर्देश के मुताबिक सरकारी प्रक्रिया का पालन करना होगा : उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली (आरएनएस)। सरकारी प्रक्रिया को अदालत के निर्देशों के मुताबिक ''चलना'' होगा। उच्चतम न्यायालय ने केरल के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए यह बात कही। उच्चतम न्यायालय ने 28 वर्षों से जेल में बंद दो सजायाफ्ता कैदियों की समय पूर्व रिहाई के प्रस्ताव पर निर्णय नहीं करने के लिए उन्हें फटकार लगाई। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में पहले आदेश दिये जाने के बावजूद सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस मामले में निर्णय नहीं लेने पर नाराजगी व्यक्त की और आदेश दिया कि जहरीली शराब के लगभग तीन दशक पुराने मामले में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे दोनों लोगों को तुरंत जमानत पर रिहा किया जाए। इस शराब कांड में 31 लोगों की मौत हो गई थी। न्यायमूर्ति ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमारकी तीन सदस्यीय पीठ को केरल की तरफ से पेश वकील ने बताया कि प्रक्रिया पूरी करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। पीठ ने कहा कि दोषी 28 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद हैं और उच्चतम न्यायालय ने पहले ही राज्य सरकार को इस बारे में निर्णय लेने का समय दिया था। राज्य के वकील ने जब यह कहा कि कुछ और समय की जरूरत है क्योंकि यह ''सरकारी प्रक्रिया'' है, तो पीठ ने कहा, ''सरकारी प्रक्रिया को अदालत के निर्णयों के मुताबिक चलना होगा।''

दोनों दोषियों की पत्नियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने मामले में पहले के आदेशों का हवाला दिया और कहा कि छह सितंबर को इसने ''स्पष्ट निर्देश'' दिया था कि दो हफ्ते के अंदर सक्षम अधिकारी निर्णय करें। वकील मालिनी पोडुवल के मार्फत दायर याचिका में कहा गया है कि दोषी विनोद कुमार और मणिकांतन ने क्रमशः 28 वर्ष से अधिक और करीब 30 वर्ष जेल की सजा काटी है। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा, ''अदालत के निर्देशों के विपरीत इस तरीके से सरकार काम नहीं कर सकती है। इस निर्देश के पीछे कोई मकसद था। क्या नहीं था पहले भी सुनवाई स्थगित हुई।'' पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा, ''अदालत द्वारा दिए गए समय के अंदर अगर आप निर्णय नहीं कर सकते हैं तो हम रिहाई के निर्देश देंगे। आप हमारे रास्ते में नहीं आ सकते हैं। यह हमार विशेषाधिकार है।

आप प्रस्ताव पर निर्णय करने के लिए समय ले सकते हैं।'' पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका लंबित रहने के दौरान दोषियों को जमानत पर रिहा किया जाए। अभियोजन के मुताबिक, अवैध शराब के कारण 31 लोगों की मौत हो गई थी, छह लोग अंधे हो गए थे जबकि 500 से अधिक व्यक्ति बीमार हो गए थे। मामला कोल्लम में दर्ज हुआ था और निचली अदालत ने आरोपियों एवं अन्य को आजीवन कारावास की सजा दी थी।

ब्रह्मलीन नरेन्द्र गिरि को दी गई भू समाधि, उमड़ा जनसैलाब

प्रयागराज (आरएनएस)। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत दिवंगत नरेन्द्र गिरि को भू समाधि दे दी गई है। पोस्टमार्टम के बाद उनका शरीर बाघम्बरी गद्दी पर लाया गया। इस दौरान फूलों से सजे वाहन पर उनका पार्थिव शरीर रखा गया। इसके बाद उनकी अन्तिम यात्रा शहर के मार्गों से होते हुए संगम पहुंची। वहां स्नान आदि कराने के बाद लेटे हुए हनुमान मंदिर के बाद फिर वापस मठ ले जाया गया। यहां वैदिक मंत्रोच्चार के साथ महंत को समाधि दे दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ मौजूद रही। समाधि स्थल पर सभी साधु-संत और महात्मा अखाड़ों की परंपरा के अनुरूप महंत नरेंद्र गिरि के पार्थिव शरीर पर जल, पुष्प, गुलाल का छिडक़ाव किया गया। फूलों से सजे रथ पर अखाड़ा परिषद अध्यक्ष नरेंद्र गिरि के शव को लेकर निकाली गई यात्रा में महंत के अंतिम दर्शन के लिए संगम जाने वाले मार्गों पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोग जगह-जगह फूल माला चढ़ा कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद से जुड़े सभी 13 अखाड़ों के महंत और महामंडलेश्वर मठ में मौजूद थे। पूर्व सांसद राम विलास वेदांती के अलावा हरि गिरि, रविंद्रपुरी महाराज और मौनी स्वामी सहित सैकड़ों साधु महात्मा यहां मौजूद रहे। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अंतिम यात्रा में शामिल थे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोले कि रही बात अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष की मौत की तो जितना मैं उन्हें जनता हूं, उसके आधार पर कह सकता हूं कि महंत जी मजबूत इच्छाशक्ति के व्यक्ति थे। वह आत्महत्या नहीं कर सकते। 24 घंटे पहले उन्होंने मुझे प्रसाद दिया। पोहा भी खाने को दिया था तो समय की कमी के कारण मैंने कहा मुझे इजाजत दें इसे साथ लेकर जाने की। उनकी अनुमति पर में पोहा अपने साथ ले गया था।

महिलाओं को इसी साल से एनडीए की परीक्षा में किया जाए शामिल : सुप्रीम कोर्ट

» सरकार से कहा-टाल नहीं सकते लैंगिक समानता की बात

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि महिलाओं को इसी साल से एनडीए की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने दिया जाए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि नेशनल डिफेंस एकेडमी अगले साल यानी मई 2022 में महिलाओं को एंट्रेस एग्जाम में बैठने की इजाजत देगी।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की इस मांग को ठुकरा दिया और कहा कि इस साल 14 नवंबर को होने वाली एनडीए परीक्षा में महिलाओं को बैठने दिया जाए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इसकी तुलना आपात स्थिति से करते हुए कहा कि सशस्त्र बल आपात स्थितियों से निपटने के लिए सबसे उपयुक्त है। कोर्ट ने कहा कि परीक्षा के बाद अगर कोई समस्या आती है तो सरकार कोर्ट को सूचित कर सकती है। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हम नहीं चाहते कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए। रक्षा मंत्रालय को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि एक साल की देरी सब कुछ खत्म कर देगी। जस्टिस एसके कौल ने कहा कि हम प्रक्रिया में देरी नहीं करना चाहते लेकिन हम इस बारे में सटीक समय-सीमा नहीं तय करने जा रहे हैं कि किस तारीख तक यूपीएससी को अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को मिलेंगे 50-50 हजार रुपए

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वो हर कोरोना मृतक के परिवारवालों को 50 हजार रुपए का मुआवजा देगी। मुआवजे की ये रकम राज्य डिजास्टर रिलीफ फंड से पीड़ितों के परिजनों को दी जाएगी। इस राशि को प्राप्त करने के लिए पीड़ित परिवार परिवार को जिले के डिजास्टर मैनेजेंट दफ्तर में आवेदन देना होगा और करोना से हुई मौत का प्रूफ यानी मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा।

मुआवजे की प्रक्रिया के बारे में केंद्र ने बताया है। इसके मुताबिक, संबंधित परिवार मृत्यु प्रमाण पत्र सहित निर्दिष्ट दस्तावेजों के साथ राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी एक फॉर्म के माध्यम से अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण पत्र में मृत्यु के कारण को कोविड-19 को प्रमाणित किया गया हो। डीडीएमए यह सुनिश्चित करेगा कि दावे, सत्यापन, मंजूरी और अनुग्रह राशि के अंतिम भुगतान की प्रक्रिया मजबूत लेकिन सरल और लोगों के अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से हो। सभी दावों को आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर निपटाया जाएगा। आधार

से जुड़े प्रत्यक्ष लाभ ट्रांसफर प्रक्रियाओं के माध्यम से वितरित किया जाएगा। शिकायत निवारण के लिए जिला स्तर पर एक समिति होगी। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी एनडीआरएफ ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी की कोरोना से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा दिया जाए। नियम के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को चार लाख रुपये मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस तादाद में कोरोना से लोगों को मौत हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था।

टूलकिट मामले में संबित पात्रा और रमन सिंह को राहत

» सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की याचिका की खारिज

नई दिल्ली (आरएनएस)। सर्वोच्च न्यायालय ने कथित फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। कथित फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह एवं भाजपा नेता संबित पात्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।

दरअसल, सर्वोच्च न्यायालय ने कथित फर्जी टूलकिट मामले में छत्तीसगढ़ सरकार की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें

दोनों नेताओं के खिलाफ जांच पर रोक लगाने के हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश एन वी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को इस मामले का फैसला करने दें। वहीं न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि मौजूदा मामलों को अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता क्योंकि टूलकिट मुद्दे से संबंधित कई मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में लंबित हैं। पीठ ने कहा कि यहां अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करें। हम विशेष अनुमति याचिकाओं पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं। हम एसएलपी को खारिज करते हैं। शीर्ष अदालत ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से फर्जी टूलकिट मामले से संबंधित याचिकाओं पर तेजी से निर्णय लेने का अनुरोध करते हुए कहा कि मामलों को पहले की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना तय किया जाए। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 11 जून को दो अलग-अलग आदेश पारित किए और सिंह एवं पात्रा के खिलाफ दर्ज एक ही प्राथमिकी में अंतरिम राहत प्रदान की थी। इस दौरान उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस मामले से आम लोगों के बीच कोई शांति भंग नहीं हुई बल्कि यह दो पार्टियों के बीच एक शुद्ध राजनीतिक मामला है।

क्या है मामला

दरअसल, 19 मई को, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ छत्तीसगढ़ इकाई के अध्यक्ष आकाश शर्मा की शिकायत के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिंह, पात्रा और अन्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनगढ़ंत सामग्री प्रसारित की थी। पार्टी द्वारा विकसित टूलकिट के रूप में पेश करके कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।

पद्मनाभ मंदिर ट्रस्ट को देना होगा आमदनी और खर्च का ब्योरा

» उच्चतम न्यायालय का बड़ा फैसला

नई दिल्ली (आरएनएस)। केरल के प्रसिद्ध श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर के प्रबंधन को लेकर चल रहे राज परिवार और मंदिर ट्रस्ट के बीच रस्साकशी में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर ट्रस्ट से कहा है कि वह अगले तीन महीने में बीते 25 सालों के खर्च का ब्योरा दे। मंदिर ट्रस्ट ने पिछले 25 सालों के हिसाब का ब्योरा देने से छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बुधवार को यह स्पष्ट कर दिया कि मंदिर ट्रस्ट को 25 सालों के खर्चे और आमदनी का ऑडिट कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि इस ऑडिट में मंदिर के साथ ही ट्रस्ट का भी वित्तीय लेखा-जोखा शामिल होगा। कोर्ट ने ऑडिट पूरा करने के लिए तीन महीने का समय दिया है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी कर ली थी और फैसला बीते हफ्ते सुरक्षित रखा था। बीते साल इस मंदिर के खजाने का ऑडिट कराने का आदेश दिया गया था लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने ऑडिट से छूट पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बता दें कि पिछले साल ही सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के प्रशासन की जिम्मेदार त्रावणकोर शाही परिवार की एक प्रशासनिक समिति को सौंप दिया था।

पीयूष गोयल ने निवेशकों और व्यवसायों के लिए राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली की शुरूआत की

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) की शुरूआत भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग, टैक्सटाइल उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने ऐसा इस सुविधा का शुभारंभ करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि एनएसडब्ल्यूएस अनुमोदनों और पंजीकरणों के लिए सरकारी कार्यालयों में दौड़ लगाने की विरासत से आजादी दिलाने में सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के इस 75वें सप्ताह में न केवल भारत बल्कि दुनिया के निवेशकों, व्यापार मालिकों (एमएसएमई) के साथ आजादी के

अमृत को साझा कर सकते हैं। एनएसडब्ल्यूएस सरकारी कार्यालयों में दौड़ लगाने की विरासत यानी 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस', 'ईज ऑफ लिविंग', 'कागजी कार्यवाही से आजादी' खिड़की के भीतर विभिन्न खिड़कियों से डुप्लीकेशन और विषमता से आजादी दिलाने में मदद करेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णायक और साहसिक नेतृत्व में देश को बड़ा सपना देखने में सक्षम और प्रोत्साहित किया है। उनका विज़न राष्ट्र की प्रगति और करोड़ों नागरिकों के लिए समृद्धि का मिशन बन गया है। राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसायों और सरकार के बीच एकल इंटरफेस की जरूरत को लम्बे समय से महसूस किया जा रहा है। इस अवसर पर गोयल ने कहा कि यह एकल खिड़की पोर्टल अनुमोदनों और मजूंरियों हेतु निवेशकों के लिए वन-स्टॉप शॉप बन जाएगा। यह पोर्टल आज 18 केन्द्रीय विभागों और 9 राज्यों में अनुमोदन होस्ट करता है। अन्य 14 केन्द्रीय विभागों और 5 राज्यों को दिसंबर, 2021 तक इस पोर्टल में जोड़ लिया जाएगा। गोयल ने कहा कि 'एंड टू एंड' सुविधा के माध्यम से माउस की एक क्लिक पर सभी समाधान उपलब्ध होंगे। इससे इको-सिस्टम में पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व आएगा और सभी जानकारी एकल डैशबोर्ड पर उपलब्ध होगी। विभिन्न आवेदन करने, ट्रैक करने और प्रश्नों की जवाब देने के लिए एक आवेदक डैशबोर्ड भी उपलब्ध होगा। सेवाओं में अपने अनुमोदन को जानना (केवाईए), आम पंजीकरण एवं राज्य पंजीकरण फॉर्म, दस्तावेज भंडार और ई-संचार शामिल हैं। गोयल ने कहा कि आज भारत पर दुनिया की नजर है और पूरा विश्व भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में उसके उचित स्थान का दावा करने के रूप में देख रहा है। वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 20 प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी हुई है। अगस्त, 2020 के मुकाबले इस अगस्त में निर्यात में 45.17 प्रतिशत वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में इस वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में वर्ष 2020 की इसी अवधि की तुलना में 22.53 बिलियन डॉलर की आमद रही। जीआईआई में भारत 46वें स्थान पर पहुंच गया है। इस प्रकार इसमें पिछले 6 वर्षों में 35 पायदानों की छलांग लगाई है। उन्होंने कहा कि तेजी से सुधार होने के कारण हम पिछले सात वर्षों में शुरू की गई अन्य परिवर्तनकारी और राष्ट्र निर्माण की पहलों की तरह सबसे तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं में से पुनः एक बनने की राह आ गए है। गोयल ने कहा की एनएसडब्ल्यूएस हमारी मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और पीएलआई योजना जैसी अन्य योजनाओं को मजबूती प्रदान करेगी। ये ध्यान देने योग्य है कि भारत के व्यापार माहौल को सुधारना भारत सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र है। मेक इन इंडिया, मेक फोर दा वर्ल्ड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए सरकार ने अभियान में अनेक पहल शुरू की है, जिनमें प्रमुख उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पीएलआई और भारत औद्योगिक भूमि बैंक प्रणाली शामिल हैं।